प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 436 / 2023
अनवान : –

1. भालाराम पुत्र शेरसिंह जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. शेरसिंह पुत्र मनफुलराम जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
2. दयाराम पुत्र शेरसिंह जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
3. सुन्दर पुत्री शेरसिंह जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **वादी**
श्री मनीराम सरावग अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 05.06.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता स0 108/53 की कुल 9.6160 हैक्ट भूमि पर प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा मनफुलराम के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज हुई। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी तथा प्रतिवादी सं0 2 ता 3 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात बहिब हक हिस्सा है।

प्रतिवादीया स0 3 वादी एवं प्रतिवादी स0 2 [illegible] है एवं प्रतिवादी स0 1 की पुत्री है वादग्रस्त भूमि में कोई हिस्सा नही लेना [illegible] अपना जो भी हक हिस्सा है उक्त वाद भूमि मे कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वम वादी [illegible] वादी स0 1 व 2 के पक्ष मे परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:45:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

खाता स0 108/53 के ख0न0 105/1 की 4.3890 हैक्ट भूमि के वादी व प्रतिवादी स0 2 बहिब के खातेदार काश्तकार रहेंगे एवं ख0न0 121/2 की 1.2300 हैक्ट, ख0न0 122/1 की 0.5370 हैक्ट, ख0न0 127/1 की 1.7000 हैक्ट, ख0न0 221/2 की 0.7480 हैक्ट, ख0न0 222/2 की 1.0120 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में नयी व पुरानी जमाबंदी, सदस्य प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी स0 3 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी स0 1 व 2 काबिज है। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 3 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता स0 108/53 की कुल 9.6160 हैक्ट भूमि पर प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। [illegible] भूमि प्रस्तुत दस्तावेजों से दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादी [illegible] वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि यदि वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नही है। प्रतिवादीया स0 3 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य

खण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:45:39 IST
Reason: SelfAttested

कर लिया है।: वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता स0 108/53 की कुल 9.6160 हैक्ट भूमि में से खसरा न0 108/53 के ख0न0 105/1 की 4.3890 हैक्ट भूमि का वादी एवं प्रतिवादी स0 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं ख0न0 121/2 की 1.2300 हैक्ट भूमि, ख0न0 122/1 की 0.5370 हैक्ट, ख0न0 127/1 की 1.700 हैक्ट भूमि, ख0न0 221/2 की 0. 7480 हैक्ट भूमि, ख0न0 222/2 की 1.0120 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 5/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2023 में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–गोरखाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:45:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 436 / 2023
अनवान : –

1. भालाराम पुत्र शेरसिंह जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. शेरसिंह पुत्र मनफुलराम जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
2. दयाराम पुत्र शेरसिंह जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
3. सुन्दर पुत्री शेरसिंह जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 436 सन 2023 निर्णय दिनांक 05.06.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता स0 108/53 की कुल 9.6160 हैक्ट भूमि में से खसरा न0 108/53 के ख0न0 105/1 की 4.3890 हैक्ट भूमि का वादी एवं प्रतिवादी स0 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं ख0न0 121/2 की 1.2300 हैक्ट भूमि, ख0न0 122/1 की 0.5370 हैक्ट, ख0न0 127/1 की 1.700 हैक्ट भूमि, ख0न0 221/2 की 0.7480 हैक्ट भूमि, ख0न0 222/2 की 1.0120 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 5/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–गोरखाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:45:39 IST
Reason: SelfAttested